

मंत्रालय,
महाराष्ट्री भवन, नवा रायपुर

— आदेश —

नवा रायपुर, दिनांक 17/12/2015

क्रमांक एफ 4-11/2015/18 (9) : दिमागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 01.06.2015 द्वारा नगर पालिक निगम, रायगढ में प्लैसमेंट पर कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई हैं, को राज्य शासन ८तद् द्वारा निरस्त करते हुए नगर पालिक निगम, रायगढ जिला रायगढ के लिए प्लैसमेंट पर कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों की नियन्त्रणारार अधिकतम संख्या निर्धारित करता हैः-

क्र.	शाखा का नाम	पद श्रेणी	प्लैसमेंट कर्मचारियों की कुल संख्या
1	लोक निर्माण	कम्प्यूटर ऑपरेटर	3
		लैब सहायक	2
		सुपरवाइजर (समर्थपाल)	7
2	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	श्रमिक (सफाई)	204
		रिक्या चालक	96
		सफाई दरोगा	20
		पंप अर्टेंडर	55
3	जल कार्य	हैंडपेप गैकेनिक	3
		इलेक्ट्रिशियन	3
		पेल्डर	2
		श्रमिक	16
4	विद्युत/यांत्रिकी	इलेक्ट्रिशियन	13
		श्रमिक	14
5	उद्यानिकी	भाली	5
		श्रमिक	18
6	सामान्य प्रशासन	कम्प्यूटर ऑपरेटर	3
7	वाहन विभाग	फायर चालक	12
		फायरमैन	12
		आटो चालक	12
		ट्रेवर चालक	21
		डम्पर चालक	5
		जेरीबी चालक	6
		इलीनर	10
		बैलर	2
		पंचर मिस्ट्री	2
		ईवेंग्रूप ऑपरेटर	2
8	शिक्षा विभाग	चालक (थोलेरा, बेन आदि)	7
		शिक्षक	10
9	परिसंपत्तियों का रखरखाव	चौकीदार	12
		चौकीदार (मुवितधाम)	4
		कुल	581

2

(राज)

61
03/02/2016

०५

शाती :-

- 1 लप्सेक्टर लाइंगें अनुसार कुशल / अद्वयकुशल अकुशल कर्मचारी मात्र ल्सेमेंट पर विहित प्रक्रियानुसार बनिशनों से नियमित लिसेमेंट एजेंसी से ही कार्य पर रखे जावेंगे। इसके एवज में नियमित/संविदा या अन्य विधि से कोई नियुक्ति नहीं की जावेगी।
- 2 नियाय में, राफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु मानव वल को स्त्रीकृति के संबंध में संचालनालय के आदेश क्र. 462 दि. 11.05.2012 के अनुसार ही मानव वल (नियमित एवं प्लेसमेंट) रखे जायेंगे।
- 3 राज्य शासन द्वारा निकाय की जनसंख्या, सीमा, कर्तव्य, परिसंपत्तियों की संख्या एवं अन्य आनुषांगिक सुसंगत कारणों को दृष्टिगत रखते हुए, समय-समय पर समीक्षा कर प्लेसमेंट पर कुशल, अद्वयकुशल अकुशल कर्मचारी नियुक्त करने की अधिकतम सीमा में यथा कमी/वृद्धि की जा सकेगी।
- 4 प्लेसमेंट के कर्मचारियों की प्रातः कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं सायं कार्य समाप्ति के उपरांत, अर्थात् दो बार बायोमेट्रिक उपरिथित ली जाना अनिवार्य होगा।
- 5 बायोमेट्रिक उपरिथित के आधार पर ही, प्लेसमेंट कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक, उनके बैंक खाते में मात्र आर.टी.जी.एस. द्वारा हस्तांतरित किया जावेगा। ईपीएफ, ईएससीआई आदि की भी गणना कर, प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा आरटीजीएस द्वारा हस्तांतरित किया जावेगा एवं बैंक द्वारा आरटीजीएस की गई राशि की मूल रसीद प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा अनिवार्य रूप से निकाय को प्रस्तुत की जावेगी। निकाय द्वारा संविदा शर्तों के अनुसार प्लेसमेंट एजेंसी को भुगतान/प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जावेगी।
- 6 प्लेसमेंट कर्मचारियों को, जिला कलेक्टर द्वारा जारी दर अनुसूची के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
- 7 प्लेसमेंट पर कर्मचारी रखे जाने हेतु श्रम विभाग के समरत नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8 निकाय की राज्य शासन द्वारा स्वीकृत नियमित पद संरचना में, भविष्य में रिक्त पद पर पूर्ति होने के समय, प्लेसमेंट के समान/समकक्ष कर्मचारियों की संख्या में स्वभूत, समानुपातिक कटौती हो जावेगी। उदाहरण स्वरूप यदि निकाय में सहायक ग्रेड-3 के एक रिक्त पद पर भर्ती की जाती है तो प्लेसमेंट में लिपिक/कफ्ट्वर ऑपरेटर की निर्धारित संख्या में स्वभूत 01 कर्मचारी की कमी हो जावेगी।
- 9 यदि निकाय में, न्यायालय अथवा राज्य शासन के पूर्व आदेशों के कारण वैनिक वृत्ति पर कर्मचारी कार्यरत है, जो कि प्लेसमेंट के अंतर्गत कार्यरत नहीं है, उनके प्रकरणों की रिथित (Status) इस आदेश से प्रभावित नहीं होगी, किन्तु मात्र उनकी संख्या की गणना प्लेसमेंट की अधिकतम संख्या के अंतर्गत की जावेगी।
- 10 आपात रिथित/आकस्मिकता/प्राकृतिक स्वरूप के दौरान यथा छ.ग. नगर पालिक अधिनियम 1956 तथा छ.ग. नगर पालिका प्रेसीडेंट-इन-काउसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य नियम 1998, तथा समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

काम्पिक विद्युत विनियोग के लिए इसका उपयोग अत्यधिक होता है।

आदेश वग प्राप्ति कराई से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

6339
Director 2014

23 DEC 2015

अवर सचिव
उत्तीरणगढ़ द्वारा सन्

‘ਤੰਤੀਸਗੁਡ ਰਾਸਨ

प्रशासन एवं विकास लि

www.ijerph.com

पृ. ५फ 4-11 / 2015 / 18 (9)

नया रायपुर, दिनांक 17/12/2015

प्रतिलिपि:-

- पिशोष सत्याक, मान. मंत्री जी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मंत्रालय, नया रायपुर,
 - संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, ४००५०, नया रायपुर,
 - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, ४००५०, नया रायपुर,
 - फ्लैट्टर, जिला-रायगढ़,
 - महापौर/आयुवत्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़
 - संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर/बिलासपुर /अंबिकापुर/जगदलपुर/दुर्ग
 - जिला प्रभारी
 - अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर/दुर्ग।
 - प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर को वैबसाईट में अपलोड करने हेतु।
 - रिकार्ड फाइल।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

Adl. Dir. (A/F) / D.D. (A) / DD (F)
/ C/S (TC) / SE (B) / DD

Adl. CEO / SE / 9CEOM /
DCEO (E) / OSD (P) / ApM. Dr. (SUDA)

91 DEC 2015 *Ru*

Shri. Data Centre
Director, Urban Administration
CEO, UDA